*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब० / का०प०वे०–26–01 / 2017 29 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 20/07/18

विषयः– **चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में कुल ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों में पदस्थापित एवं कार्यरत बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार नगरपालिका सेवा एवं अन्य विभागों से सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों के वेतनादि एवं बकाया वेतनादि भुगतान हेतु किये गये अधियाचना के आलोक में वेतनादि एवं बकाया वेतनादि (DA, HRA एवं चिकित्सा भत्ता सहित) के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत सहायक अनुदान के रूप में ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत किया जाता हैः–

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर कार्यपालक पदाधिकारी	कुल स्वीकृत राशि
1	*2*	*3*
1	नगर परिषद्, मोतिहारी	5,00,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक– 1 के स्तम्भ– 3 में स्वीकृत राशि राज्य के नगर पंचायत में पूर्णकालिक व्यवस्था के तहत बिहार नगरपालिका सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी तथा विभाग में सेवा प्राप्त पर्यवेक्षकीय संवर्ग के पदाधिकारियों, जो उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ– 2 में अंकित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में नगर कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, के वित्तीय वर्ष 2018–19 के वेतनादि एवं बकाया वेतन, महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (व्यक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, पटना से प्राप्त वेतन पर्ची/अंतिम वेतन प्रमाण–पत्र के आधार पर नियमानुसार व्यय की जायेगी। यह राशि

जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

3. स्वीकृत कुल ₹5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित नगर परिषद् के नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे,** जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत माँग सं०– 48 के मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उपशीर्ष– 0013–नगर पालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी, विपत्र कोड– **48-2217031920013,** विषय शीर्ष– 0013.31.04 सहायक अनुदान–वेतन मद से की जायेगी।

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. उपर्युक्त स्वीकृत राशि से नगर परिषद्, मोतिहारी में तत्कालीन कार्यरत नगर कार्यपालक पदाधिकारी, श्री हरिबीर गौतम जो दिनांक– 31.03.2018 को सेवा निवृत हो गये हैं, के माह फरवरी, 2017 एवं मार्च, 2018 तथा हड़ताल अवधि के वेतन एवं अन्तर वेतन का भुगतान जाँचोपरांत नियमानुसार किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

8. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर माँग संख्या– 48 मुख्यशीर्ष/उपमुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष एवं विपत्र कोड तथा विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय।

9. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक– 31.03.2019 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. चूँकि उपर्युक्त राशि की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में दी जा रही है, इसलिए यह सभी संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी की जिम्मेवारी है कि स्वीकृत राशि के व्यय के उपरांत उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/का०प०वे०– 26–01/2017 के पृष्ठ सं०–75/टि० पर दिनांक–16.7.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–75/टि० पर दिनांक–17.7.18 को प्राप्त है।

13. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोतिहारी तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

20.07.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/का०प०वे०–26–01/2017 29 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–20/07/18

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/वित्त विभाग (बजट शाखा)/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, पटना/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी०प्रबंधक, को वेवसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई०मेल करने हेतु/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

20.07.18

सरकार के विशेष सचिव।